न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **331/2018** दायर दिनाँक **08.10.2018**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी		प्रतिवादीगण
1. ईजाजखाँ पुत्र लोडूखाँ, उम्र—70साल, जाति—शेरानीआबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. लाल मोहम्मद पुत्र लोडूखाँ, उम्र—55साल, 2. प्यार मोहम्मद पुत्र चाँदखाँ, उम्र—38साल, 3. फातमा पुत्री लोडूखाँ, उम्र—60साल, 4. सलामत पुत्री लोडूखाँ, उम्र—53साल, समस्त,जाति—शेरानी, निवासी—शेरानीआबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 5. श्रीमान् तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 30.11.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 538 रकबा 19.03 बीघा व खसरा नम्बर 542 रकबा 62.09 बीघा भूमि अवस्थित है, जो वादी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रमाणित नकल खतौनी पेश है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के पिता/दादा का स्वर्गवास दिनाँक 10.04.2005 को हो गया मगर उनके वारिसान् के नाम से

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नामान्तरकरण नहीं भरा गया। खातेदारी पूर्ववत् की चलती रही है। उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 04 ने अपने–अपने हक अनुसार बन्ट कर उस पर काबिज काश्त हैं।

उक्त बन्ट निम्नानुसार है:– खसरा नम्बर 538 रकबा 19.03 बीघा व खसरा नम्बर 542 रकबा 62.09 बीघा कुल भूमि रकबा 81.12 बीघा में से 1/2 हिस्सा वादी के बन्ट में व हिस्सा 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 01 के बन्ट में है।

प्रतिवादीगण 02 ता 04 का सामाजिक रीति–रिवाज अनुसार उनका हक अदा कर दिया गया है इसलिए उनका वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 02 प्यार मोहम्मद की माता हाजरा के फौत होने से प्यार मोहम्मद को इस दावा में पक्षकार बनाया गया है।

प्रतिवादीगण द्वारा दिनाँक 25.09.2018 को वादी को वादग्रस्त भूमि के बैचाण की धमकी दिये जाने से बिनाय दावा उत्पन्न हुआ।

प्रार्थना वादी है कि–

सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 538 रकबा 19.03 बीघा व खसरा नम्बर 542 रकबा 62.09 बीघा भूमि में से हिस्सा 1/2 भाग का वादी को व हिस्सा 1/2 भाग का प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 05

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री मोहम्मद रफीक ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा मुताबिक, सरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 538 रकबा 19.03 बीघा में से नजरीनक्शा में दर्शित अनुसार रकबा 09.12 बीघा का वादी ईजाजखाँ को व रकबा 09.11 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 लाल मोहम्मद को खातेदार घोषित किया जावे तथा खसरा नम्बर 542 रकबा 62.09 बीघा में नजरीनक्शा में से दर्शित अनुसार रकवा 15.12 बीघा व रकबा 15.12 बीघा का वादी ईजाजखाँ को तथा रकबा 15.12 बीघा व रकबा 15.13 बीघा भूमि का प्रतिवादीग संख्या 01 लाल मोहम्मद को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 का नाम वादग्रस्त खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम खाटूखुर्द सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 720/568 खसरा नम्बर 538 व 542 की सत्य प्रतिलिपि, नजरीनक्शा की सत्यप्रतिलिपि, कार्यालय ग्रामपंचायत शेरानीआबाद द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र क्रमांकः एसपीएल/2016–17 दिनाँक 05.01.2017, लोडूखाँ की मृत्यु दिनाँक 10.04.2005 का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति, पेश की है।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् जरिये वकुलाय मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाने का

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 331 / 2018
दायर दिनाँक 08.10.2018, निर्णय दिनाँक 30.11.2018
ईजाजखाँ बनाम् लाल मोहम्मद, वगैरा।

निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक सहमत हैं व इसी अनुरूप दावा डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। इसलिए राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, सरहद खाटूखुर्द में वादग्रस्त खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान् खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि मुताबिक, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 538 रकबा 19.03 बीघा में से रकबा 09.12 बीघा का वादी को व रकबा 09.11 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 542 रकबा 62.09 बीघा में से रकबा 15.12 बीघा व रकबा 15.12 बीघा का वादी को तथा रकबा 15.12 बीघा व रकबा 15.13 बीघा भूमि का प्रतिवादीग संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 538 व 542 के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 का नाम हटाया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार से एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **30.11.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 331/2018 दायर दिनाँक 08.10.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. ईजाजखाँ पुत्र लोडूखाँ, उम्र–70साल, जाति–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. लाल मोहम्मद पुत्र लोडूखाँ, उम्र–55साल, 2. प्यार मोहम्मद पुत्र चाँदखाँ, उम्र–38साल, 3. फातमा पुत्री लोडूखाँ, उम्र–60साल, 4. सलामत पुत्री लोडूखाँ, उम्र–53साल, समस्त,जाति–शेरानी, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. श्रीमान् तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,

अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक 30.11.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, सरहद खाटूखुर्द में वादग्रस्त खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान् खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि मुताबिक, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 538 रकबा 19.03 बीघा में से रकबा 09.12 बीघा का वादी को व रकबा 09.11 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 542 रकबा 62.09 बीघा में से रकबा 15.12 बीघा व रकबा 15.12 बीघा का वादी को तथा रकबा 15.12 बीघा व रकबा 15.13 बीघा भूमि का प्रतिवादीग संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 538 व 542 के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 का नाम हटाया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार से एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.........–......... मुबलिंग...........–.............. बाबत..............
.....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **30.11.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—331—2018 / रीडर / 2018 /1121 दिनाँक 28/12/19

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. ईजाजखाँ पुत्र लोडूखाँ, उम्र—70साल, जाति—शेरानीआबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. लाल मोहम्मद पुत्र लोडूखाँ, उम्र—55साल, 2. प्यार मोहम्मद पुत्र चाँदखाँ, उम्र—38साल, 3. फातमा पुत्री लोडूखाँ, उम्र—60साल, 4. सलामत पुत्री लोडूखाँ, उम्र—53साल, समस्त,जाति—शेरानी, निवासी—शेरानीआबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 5. श्रीमान् तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner